	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24-7-19	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित आदेश सुनाया नही जा सका वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 14-8-19 को पेश हो. (signature)	
14-8-19	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित निर्णय आदेश सुनाया गया वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली कैफियत शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (signature) उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी	

Scanned by CamScanner

.यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

संख्या 11 / 2008

.ायरा दिनांक :– 14.02.2008

पीठासीन अधिकारी

गोरधनलाल मीना (RAS)

बउनवान

1. श्यामचरण आत्मज किशन गोपाल जाति ब्राहम्मण माखीदा तहसील इन्द्रगण जिला बून्दी राज0
2. राममुर्ति बेवा हरिशंकर उर्फ हरिनारायण आत्मज किशन गोपाल माखीदा तहसील इन्द्रगण जिला बून्दी राज0
3. मोहित आयु 8 वर्ष
4. कोमल आयु 10 वर्ष
5. ज्योति आयु 12 वर्ष
6. पिंकी आयु 15 वर्ष पिसरान हरिशंकर जर्ये सरंक्षक माता राममुर्ति जाति ब्राहम्मण निवासी माखीदा तहसील इन्द्रगण जिला बून्दी राज0
7. मुस्मात सीताबाई बेवा राधेश्याम जाति ब्राहम्मण माखीदा तहसील इन्द्रगण जिला बून्दी राज0
8. भगवती प्रसाद पुत्र राधेश्याम जाति ब्राहम्मण निवासी माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0.
9. प्रेम शंकर पुत्र राधेश्याम जाति ब्राहम्मण निवासीगण माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
10. गणेश प्रसाद पुत्र राधेश्याम जाति ब्राहम्मण निवासीगण माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
11. उमाशंकर पुत्र राधेश्याम जाति ब्राहम्मण निवासीगण माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
12. संतोष बाई पुत्री राधेश्याम पत्नि सुरेश जाति ब्राहम्मण निवासी ढगारिया तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
13. सत्यनारायण पुत्र रंग लाल जाति ब्राहम्मण निवासी माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
14. घनश्याम पुत्र रंग लाल जाति ब्राहम्मण निवासी माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0

– वादीगण –

बनाम

1. गिरिराज पुत्र नाथू लाल जाति ब्राहम्मण निवासी बहडावली हाल निवास ईटावा अस्पताल के पास तहसील पीपल्दा जिला कोटा मृतक के कायम मुकाम

   1/1 लीलावती पत्नि गिरिराज जाति ब्राहम्ण निवासी ईटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

   1/2 बुद्धिप्रकाश पुत्र गिरिराज जाति ब्राहम्ण निवासी ईटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

   1/3 घनश्याम पुत्र गिरिराज जाति ब्राहम्ण निवासी ईटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned by CamScanner

1/4 पिंकु पुत्र गिरिराज जाति ब्राहम्ण निवासी ईटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

1/5 रेखा बाई पुत्री गिरिराज जाति ब्राहम्ण निवासी ईटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

1/6 सन्तोष बाई पुत्री गिरिराज पत्नि राधेश्याम जाति ब्राहम्ण निवासी अस्पताल के पीछे ईटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

2. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी

– प्रतिवादीगण –

–: निर्णय :– दिनांक 14.08.2019

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 एवं 188 रा0 टी0 एक्ट
खातेदार अधिकार घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व
इन्द्राज दुरूस्ती बाबत्

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 एवं 188 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खाता संख्या 151 के खसरा नं 660 रकबा 2.45 हैक्टयर, खसरा नं 661 रकबा 0.40 हैक्टयर, खसरा नं 662 रकबा 0.70 हैक्टयर, खसरा नं 663 रकबा 0.95 हैक्टयर, खसरा नं 664 रकबा 1.40 हैक्टयर, खसरा नं 665 रकबा 1.23 हैक्टयर, कुल किता 6 कुल रकबा 7.13 हैक्टयर किस्म नहरी द्वितीय कृषि भूमि वाके ग्राम माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में विरिथत है। वाद वर्णित कृषि भूमि पूर्व खातेदार रंगलाल पुत्र कवंरलाल कोम ब्राहम्ण साकिन देह खातेदार राजस्व रिकार्ड में अंकित थी। रंगलाल जी की मृत्यु के बाद वादीगण पूर्वजो की पुश्तैनी जमीन पर खातेदार के रूप में काबिज काश्त चले आ रहे हैं। राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही व मिलीभगत से राजस्व अभिलेखों मे प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा अंकित कर दिया गया, जो अवैधानिक एवं प्रभावहीन है। प्रतिवादी संख्या 1 का अपने जीवनकाल में कभी भी वाद वर्णित कृषि भूमि पर कब्जा काश्त नही रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदार के रूप में दर्ज होने से हिस्सा 1/2 रहन बय हस्तान्तरण करने पर आमादा है। जिसे कोई कानूनी अधिकार नही है। यही वाद कारण है। और अन्त में प्रार्थना की कि वाद वर्णित कृषि भूमि का खातेदार कृषक वादीगण को घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किये जाने की डिक्री फरमाई जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर कथन किया कि वाद पत्र मिथ्या एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया। वाद वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी का हिस्सा 1/2 निहित होने से प्रतिवादी संख्या 1 को अधिकार प्राप्त है कि विवादित आराजी का पृथक से विभाजन करावें। वादीगण द्वारा वाद पत्र में वाद कारण अंकित नही किया है। इसलिये वादीगण का वाद पत्र खारिज फरमाया जावें। वादीगण की ओर से जवाब काउन्टर क्लेम पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 का वाद वर्णित कृषि भूमि हिस्सा 1/2 पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपना नाम 1/2 हिस्से पर राजस्व रिकार्ड में अंकित करवा लिया है। जिसका प्रतिवादी को कोई अधिकार प्राप्त नही है। प्रतिवादी संख्या 1 राजस्व रिकार्ड में हिस्सा 1/2 पर अपना नाम अंकित होने का फायदा उठाकर कभी भी बेचान कर

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

हस्तान्तरित कर सकता है। इसलिये वाद पत्र इन्द्राज दुरूस्ती, अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। काउन्टर क्लेम स्वीकार नही है अस्वीकार है। काउन्टर क्लेम मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में वादी पी.डब्लू.1 श्यामचरण का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया। गवाहान पी.डब्लू. 2 चतुर्भुज, पी.डब्लू 3 रमेशचन्द, पी.डब्लू. 4 लडडूलाल, पी.डब्लू. 5 गोरधन के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी 2064–2067 प्रदर्श 1, खसरा गिरदावरी सम्वत 2060–2063 प्रदर्श 2, नकल जमाबन्दी सम्वत 2020–2023 प्रदर्श 3, पटवार मण्डल माखीदा रिपोर्ट दिनांक 30.08.1967 प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी 2022–2041 (सेटलमेंट) प्रदर्श 5, नकल जमाबन्दी सम्वत 2020–2023 प्रदर्श 6, जमाबन्दी सम्वत 2032–2035 प्रदर्श 7, मिलान क्षेत्रफल सन् 1995–2015 प्रदर्श 8, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2022–2041 प्रदर्श 9, लगान की रसीद दिनांक 30.05.1968 प्रदर्श 10, लगान रसीदें 11 से 35 प्रदर्श 11 पेश किये। प्रतिवादी की तरफ से प्रतिवाद में कोई साक्ष्य सबूत एवं दस्तावेज पेश नही किये गये। दिनांक 06.03.2019 को प्रतिवादी के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमारे द्वारा वादीगण के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादीगण के अधिवक्ता ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि वाद वर्णित आराजी वादीगण की पुश्तैनी जमीन है। जिसमें हिस्सा 1/2 पर प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपना नाम दर्ज करा लिया। प्रतिवादी का वाद वर्णित भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा। वाद वर्णित आराजी वादीगण के पिता रंगलाल पुत्र कवंरलाल कोम ब्राहम्ण सा देह के खातेदारी मे थी। वादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात वादीगण ही लगातार कब्जा काश्त चले आ रहे है। और अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जाकर वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जावें। वकील वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में पूर्व न्यायिक दृष्टांन्त आर.आर.टी. 2017(1) पेज नं0 664, आर.बी.जे. 1998 पेज नं0 610, आर.आर.टी. 2015(2) पेज नं0 1214, आर.बी.जे. 1998 पेज नं0 255 पेश किये गये।

हमारे द्वारा वादीगण के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हमारे द्वारा केवट खतौनी जमाबन्दी सम्वत 2020–2023 प्रदर्श 3 व प्रदर्श 6 का अवलोकन किये जाने से स्पष्ट है कि पुराने खसरा नम्बर 187 रकबा 46 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम माखीदा तहसील इन्द्रगढ रंगलाल पुत्र कुवंरलाल कोम ब्राहम्ण साकिन देह के खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। जिसके मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2022–2041 प्रदर्श 9 से मिलान करने पर नया नम्बर 441 रकबा 46 बीघा 7 बिस्वा बने थे। भू–प्रबन्ध (सेटलमेंट) विभाग द्वारा खतोनी बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत 2022–2041 में बिना किसी आधार के प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/2 दर्ज कर दिया गया। मिलान क्षैत्रफल सन् 1995 से 2015 प्रदर्श 8 से मिलान करने पर उक्त खसरा नं0 441 के नये खसरा नम्बर खसरा नं 660 रकबा 2.45 हैक्टयर, खसरा नं 661 रकबा 0.40 हैक्टयर, खसरा नं 662 रकबा 0.70 हैक्टयर, खसरा नं 663 रकबा 0.95 हैक्टयर, खसरा नं 664 रकबा 1.40 हैक्टयर, खसरा नं 665 रकबा 1.23 हैक्टयर, कुल किता 6 कुल रकबा 7.13 हैक्टयर वाके ग्राम माखीदा बने है। पूर्व सेटलमेंट में वादीगण के पिता/दादा प्रदर्श 3 व 6 में नाम दर्ज खातेदार राजस्व रिकार्ड था। जिसके खसरा नं0 187 से ही बाद के सेटलमेंट में खसरा नं0 441 बने है एवं खसरा नं0 441 रकबा 46 बीघा 7 बिस्वा से ही वाद वर्णित उक्त खसरा नम्बर बने है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वाद वर्णित आराजी वादीगण के पिता/दादा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned by CamScanner

रंगलाल पुत्र कवंरलाल के खातेदारी मे दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। प्रतिवादी ने प्रतिवाद के खण्डन बाबत कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किये। जिसके अभाव में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जाकर वादीगण को वाद विषयक आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाकर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। केवट खतोनी जमाबन्दी सम्वत 2064–2067 खाता संख्या 151 वाके ग्राम माखीदा में स्थित खसरा नं 660 रकबा 2.45 हैक्टयर, खसरा नं 661 रकबा 0.40 हैक्टयर, खसरा नं 662 रकबा 0.70 हैक्टयर, खसरा नं 663 रकबा 0.95 हैक्टयर, खसरा नं 664 रकबा 1.40 हैक्टयर, खसरा नं 665 रकबा 1.23 हैक्टयर, कुल किता 6 कुल रकबा 7.13 हैक्टयर में हिस्सा 1/2 से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण को कृषक खातेदार घोषित किया जाता है। एवं प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न तो स्वयं करे न ही अन्य किसी प्रतिनिधी से करावें।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बूंदी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

Fp डिगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम शाहबाद

व इजलास श्री गोरधनलाल मीना RAS

1 श्यामचरण आ. किशनगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी खारीवडा तहसील हिण्डोली वगैरह बून्दी बनाम 1 गिरीराज पुत्र नाथूलाल जाति ब्राह्मण निवासी बहडावली हाल निवास इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा वगैरह

-- वादीगण --

-- प्रतिवादीगण --

दावा बाबत 88, 89, 188 RTA

मुकदमा नम्बर 11/दावा/08 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री महेन्द्र देवपुरी एड. मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री हेमन्त जोशी एड. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 खाता सं. 151 वाके ग्राम खारीवडा में स्थित ख.नं. 660 रकबा 2.45 हैक्टर ख.नं. 661 रकबा 0.40 हैक्टर ख.नं. 662 रकबा 0.70 हैक्टर ख.नं. 663 रकबा 0.95 हैक्टर ख.नं 664 रकबा 1.40 हैक्टर ख.नं. 665 रकबा 1.23 हैक्टर कुल किता-6 योग रकबा 7.13 हैक्टर में से हिस्सा 1/2 से प्रतिवादी सं. 1 का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण को कृषक खातेदार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वम निज करे न किसी अन्य मुबलिग से करावे। बाबत खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14-8-2019 माह सन को जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद जिला बून्दी

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Scanned by CamScanner

2. राममूर्ति बेवा हरिशंकर उर्फ हरिनारायण आत्मज किशनगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी माखिदा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बूंदी

3. मोहित आयु 8 वर्ष

4- कोमल — 〃 10 वर्ष

5 ज्योति — 〃 12 वर्ष

6. पिंकी आयु 15 वर्ष पीसरान हरिशंकर जरिये संरक्षक माता राममूर्ति जाति ब्राह्मण निवासी माखिदा तहसील इन्द्रगढ़

7. मु. सीताबाई बेवा राधेश्याम जाति ब्राह्मण निवासी माखिदा तहसील इन्द्रगढ़

8 भगवतीप्रसाद पुत्र राधेश्याम जाति ब्राह्मण निवासी — 〃 — 〃 — 〃

9. प्रेमशंकर पुत्र राधेश्याम — 〃 — 〃 — 〃 — 〃 — 〃

10. गणेशप्रसाद पुत्र राधेश्याम — 〃 — 〃 — 〃 — 〃 — 〃

11. उमाशंकर पुत्र राधेश्याम — 〃 — 〃 — 〃 — 〃 — 〃

12. सन्तोषबाई पुत्री राधेश्याम — 〃 — 〃 — 〃 — 〃

13 सत्यनारायण पुत्र रामलाल जाति ब्राह्मण निवासी माखिदा तहसील इन्द्रगढ़

14. घनश्याम पुत्र रामलाल जाति ब्राह्मण निवासी माखिदा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बूंदी

— — वादीगण - - - -

बनाम

1. गिरिराज पुत्र नाथूलाल जाति ब्राह्मण निवासी बड़ाबली हाल निवासी इटावा अस्पताल के पास तहसील पीपल्दा जिला-कोटा

मृतक कायम मुकाम

1/1 लीलावती पत्नी गिरिराज जाति ब्राह्मण निवासी इटावा तहसील पीपल्दा (कोटा)

1/2 ऋद्धिप्रकाश पुत्र गिरिराज जाति ब्राह्मण निवासी इटावा तहसील पीपल्दा

1/3 घनश्याम पुत्र गिरिराज जाति ब्राह्मण निवासी इटावा तहसील पीपल्दा

1/4 पिंकु पुत्र गिरिराज जाति ब्राह्मण निवासी इटावा तहसील पीपल्दा

1/5 रेखाबाई पुत्री गिरिराज जाति ब्राह्मण निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बूंदी

— - - प्रतिवादीगण - - -

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बूंदी

Scanned by CamScanner